भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1278
दिनांक 29 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी का डिजिटलीकरण (ई-केवाईसी/पोषण ट्रैकर)

1278 **श्री मंसूर अली खानः**

क्या **महिला एवं बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत पंजीकृत बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं की श्रेणी-वार एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) उन लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है, जिनका ई-केवाईसी लंबित है, असफल रहा है या तकनीकी समस्याओं के कारण पूरा नहीं हो सका है;
(ग) वर्ष 2019 से अब तक पोषण ट्रैकर से संबंधित समस्याओं के कारण पूरक पोषण प्राप्त करने में विलंब होने अथवा उससे वंचित रहने वाले लाभार्थियों की वर्ष-वार एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और
(घ) योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण संबंधी लाभ प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, 'पोषण ट्रैकर' डिजिटल एप्लिकेशन को आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों की परिभाषित संकेतकों पर सभी गतिविधियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए एक आईसीटी आधारित शासन उपकरण के रूप में शुरू किया गया है। इसने सम्पूर्ण देश

में लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में लगभग तत्समय गतिविधियों की निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान की है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पंजीकृत बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की श्रेणी-वार और राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या और पूरक पोषण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की वर्षवार संख्या पोषण ट्रैकर के सार्वजनिक डैशबोर्ड पर दिए गए लिंक पर उपलब्ध है: https://www.poshantracker.in/statistics।

मिशन पोषण 2.0 के तहत पंजीकृत सभी लाभार्थी आधार-सत्यापित हैं, जून 2026 के पोषण ट्रैकर डेटा के अनुसार 99.88 प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन किया गया है। पोषण ट्रैकर डेटा के अनुसार जून 2026 में देश में टीएचआर प्रदायगी के लिए लाभार्थियों का ईकेवाईसी और फेस मैचिंग 97.87 प्रतिशत है। ई-केवाईसी और फेस मैचिंग (जून 2026 तक) का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में है।

इसके अलावा, लाभार्थियों को अर्थात गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और किशोरियों को टेक-होम राशन (टीएचआर) की निर्बाध प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन में नॉमिनी मॉड्यूल भी प्रस्तुत किया गया है। यदि किसी कारण से, पंजीकृत लाभार्थी एफआरएस के माध्यम से अपना टीएचआर प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर जाने में असमर्थ है, तो वह अपनी ओर से किसी व्यक्ति को टीएचआर प्राप्त करने के लिए नामांकित कर सकते है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय निम्नलिखित व्यवस्थाओं के माध्यम से पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के प्रभावी उपयोग के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को निरंतर प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करता है:

- लर्निंग वीडियो और जागरूकता दस्तावेज: पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के रिसोर्स सेक्शन में, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए लर्निंग वीडियो और जागरूकता दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिन्हें वे अपने नियमित कार्यों के प्रभावी प्रदायगी के लिए कभी भी उपयोग कर सकती हैं।
- पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी) पहल के तहत, सावित्री बाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सभी अधिकारियों और फील्ड कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के एक व्यापक मॉडल के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें मास्टर ट्रेनर (जिला अधिकारी, ब्लॉक समन्वयक और पर्यवेक्षक) प्रशिक्षित होते हैं, और मास्टर ट्रेनर सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को आगे प्रशिक्षित करते हैं। पोषण ट्रैकर के विभिन्न मॉड्यूल जैसे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस), जियो-टैगिंग, गृह दौरे शेड्यूलर इत्यादि पर प्रशिक्षण दिया जाता है। ब्लॉक और जिला समन्वयक पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के प्रभावी उपयोग और तकनीकी कमियों के समाधान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और पर्यवेक्षकों को जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान करते हैं।

- नए संस्करणों को जारी करने संबंधी प्रशिक्षण: इसके अलावा, जब भी पोषण ट्रैकर पर नए एप्लिकेशन शुरू किए जाते हैं, तो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी), राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) द्वारा आवेदन के प्रश्नों/संदेहों/उपयोग के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए क्षेत्र स्तर के प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।
- डीआईसी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए परिचालन संबंधी प्रश्नों का समाधान करने और पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के उपयोग पर तत्समय मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक दैनिक ऑनलाइन सहायता सत्र आयोजित करता है। इसके अलावा, कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों का समाधान करने, अद्यतन का प्रसार करने और पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन में नई शुरू की गई कार्यात्मकताओं और संवर्द्धन पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य के अधिकारियों (पर्यवेक्षक और उससे ऊपर के स्तर) के लिए शाम 4:15 बजे से शाम 5:15 बजे तक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे।
- हेल्पलाइन और टिकट-आधारित सहायता: आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एप्लिकेशन के माध्यम से टिकट ले सकती हैं या पोषण ट्रैकर से संबंधित किसी भी सहायता के लिए पोषण हेल्पलाइन (1515) पर कॉल कर सकती हैं। कॉल सेंटर सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक संचालित होता है और 17 भाषाओं में सहायता प्रदान करता है। की गई शिकायतों संबंधी टिकटों का दिन-प्रतिदिन के आधार पर समाधान किया जाता है।

इस मिशन के तहत, पोषण संबंधी पहलुओं पर लोगों को शिक्षित करने के लिए सामुदायिक जुटाव और जागरूकता प्रसार शुरू की गई प्रमुख गतिविधियों में से एक है क्योंकि सुपोषण की आदत को अपनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के महीनों में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के दौरान जन आंदोलन के तहत नियमित रूप से संवेदीकरण गतिविधियों का संचालन और रिपोर्ट करते हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण प्रथाओं को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में कार्य किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रति माह दो समुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता होती है। 2018 से जून 2026 तक कुल 10.5 करोड़ सीबीई आयोजित किए गए हैं और 2018 से अब तक 16 जन आंदोलनों के माध्यम से 150 करोड़ से अधिक जन आंदोलन गतिविधियां आयोजित की गई हैं।

अनुलग्नक

टीएचआर प्रदायगी के लिए ई-केवाईसी और फेस मैचिंग का राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण (जून 2026 तक)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल सक्रिय पात्र लाभार्थी**	**ई-केवाईसी और फेस मैचिंग (%)**	
1	आंध्र प्रदेश	15,79,848	15,73,826	99.62
2	अरुणाचल प्रदेश	39,987	29,985	74.99
3	असम	14,64,565	13,99,032	95.53
4	बिहार	58,05,885	56,93,889	98.07
5	छत्तीसगढ़	12,37,182	12,25,659	99.07
6	गोवा	32,154	32,046	99.66
7	गुजरात	20,75,155	19,68,244	94.85
8	हरियाणा	7,94,000	7,67,361	96.64
9	हिमाचल प्रदेश	2,67,541	2,67,261	99.90
10	झारखंड	14,27,157	13,94,629	97.72
11	कर्नाटक	23,14,434	23,12,930	99.94
12	केरल	7,61,139	6,91,948	90.91
13	मध्य प्रदेश	34,14,903	32,83,405	96.15
14	महाराष्ट्र	27,89,386	27,66,599	99.18
15	मणिपुर	1,36,072	1,25,632	92.33
16	मेघालय	1,90,733	1,77,346	92.98
17	मिजोरम	62,247	61,683	99.09
18	नागालैंड	59,404	52,821	88.92
19	ओडिशा	19,26,861	19,06,092	98.92
20	पंजाब	7,32,133	6,95,758	95.03
21	राजस्थान	23,78,043	23,56,289	99.09
22	सिक्किम	13,722	10,777	78.54
23	तमिलनाडु	15,51,931	15,24,962	98.26
24	तेलंगाना	10,85,170	10,78,515	99.39
25	त्रिपुरा	1,53,820	1,51,720	98.63
26	उत्तर प्रदेश	99,91,059	98,34,824	98.44
27	उत्तराखंड	4,73,100	4,51,742	95.49
28	पश्चिम बंगाल	40,08,617	38,31,439	95.58
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7,308	7,146	97.78
30	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	17,367	17,293	99.57
31	दिल्ली	4,53,477	4,52,478	99.78
32	जम्मू एवं कश्मीर	4,38,600	4,31,159	98.30
33	लद्दाख	9,616	9,443	98.20

34	लक्षद्वीप	2,985	2,983	99.93
35	पुदुच्चेरी	29,971	28,994	96.74
36	चंडीगढ़	22,974	22,974	100.00
कुल		**4,37,32,621**	**4,28,00,299**	**97.87**
